masuds

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

बाज. प्रा. पत्र स्वीकार 18.10.19

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

खेमचन्द पुत्र गोकुल बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार

जाति तेली। बिजयनगर।

किस्म मुकदमा बाज. प्रा. पत्र O. 41 R 19 नम्बर 394/2019 सन् 2019 ( ) मसूदा

2019/00394 (रामगढ़)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री राकेश अरोड़ा वि. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
18.10.19	यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री राकेश अरोड़ा एड़वोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दिनांक 30.09.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के विरूद्ध अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी. के तहत् पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। **अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	